


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान शिक्षा के निम्न प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
01	रामकुंवार (व्या. रसायन विज्ञान) राआउमावि कालडी, नागौर	माह मार्च से अप्रैल 2019 तक आगामी आदेश तक	राआउमावि कालडी, नागौर में व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 20-8-19

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-4/वेतन-व्यवस्था/2019-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, नागौर।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,.....।
4. संबंधित प्राधानाचार्य।
5. संबंधित कार्मिक रामकुंवार व्या. रसायन विज्ञान राआउमावि कालडी, नागौर।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर